न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटडी जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी:— श्री भागीरथ साख आर. ए. एस

प्रकरण संख्या:— 09/2017 प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट 1956

मांगु पिता गेगा गुर्जर जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी रेड़वास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाडा ....प्रार्थी

बनाम

1. श्री शंकरलाल पिता बालु ब्राह्मण निवासी रेड़वास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2. श्री छीतर पिता सेवा कीर निवासी रेड़वास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
3. श्री जमना पिता कालु कीर निवासी रेड़वास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
4. श्री कालुसिंह पिता शंम्भुसिंह राजपूत निवासी रेड़वास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
5. श्री कानसिंह पिता ईश्वरसिंह राजपूत निवासी रेड़वास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
6. श्री कल्याण पिता गोमा गुर्जर निवासी रेड़वास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
7. श्री भैरू पिता गोमा गुर्जर निवासी रेड़वास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
8. श्री चन्द्रा पिता भैरू गुर्जर निवासी रेड़वास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
9. श्रीमति प्रेम बेवा श्रीकिशन गुर्जर निवासी रेड़वास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटड़ी जिला भीलवाड़ा ...विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

—::आदेश::— दिनांक: —11/02/2017

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 09.01.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम रेड़वास पटवार हल्का रेड़वास तहसील कोटडी की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के खाता संख्या 39 की आराजी संख्या 263 रकबा 07 बिस्वा, खाता संख्या 46 की आराजी संख्या 726/3 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, खाता संख्या 321 की आराजी संख्या 256/2, 258/2, 258/8, 266/3, 397/1 कुल किता 5 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा, खाता संख्या 330 की आराजी संख्या 260/2 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, आराजी संख्या 726/2 रकबा 05 बीघा स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खातें/संयुक्त खातें की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करायें जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणें को सम्मन जारी कियें गयें। सम्मन बाद तामील पत्रावली पर लियें गयें । विपक्षीगण बावजूद सुचना के अनुपस्थित एवं किसी प्रकार का प्रतिरोध दर्ज नही करायें जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कियें जाने के आदेश प्रदत्त कियें जातें हैं एवं संबधित भू. अ. निरीक्षक सवाईपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सूचित करने के उपरांत पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटड़ी के तलब की जावें ।

—::आदेश::—

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील कोटड़ी के वाके ग्राम रेड़वास पटवार हल्का रेड़वास तहसील कोटडी की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के खाता संख्या 39 की आराजी संख्या 263 रकबा 07 बिस्वा, खाता संख्या 46 की आराजी संख्या 726/3 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, खाता संख्या 321 की आराजी संख्या 256/2, 258/2, 258/8, 266/3, 397/1 कुल किता 5 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा, खाता संख्या 330 की आराजी संख्या 260/2 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, आराजी संख्या 726/2 रकबा 05 बीघा पर पत्थरगढ़ी उभयपक्षों को सूचित किया जाकर बाद तिथी निर्धारण के पत्थरगढ़ी की जावें । प्रार्थी इस कार्य के लियें कमिश्नर फीस तहसीलदार कोटड़ी के निर्देशानुसार राशि 700/—रूपयें वक्त पत्थरगढ़ी कमिश्नर भू.अ. निरिक्षक को जमा करायेगा । खर्चा राशि जमा होने पर भू.अ. निरीक्षक द्वारा पत्थरगढ़ी की जाकर पालना करें ।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कोटड़ी जिला—भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :—तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आवेदक की पत्थरगढ़ी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।